- यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गयी है। चेकलिस्ट से मिलान कर लें
- ➢ विशेष रूप से मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाता स्लिप, निविदत्त मतों के लिये उपयोग में लिये जाने वाले मतपत्र निविदत्त मतपत्रों के लिए एरोक्रॉस मार्क रबड़ की स्टॉम्प, ग्रीन पेपर सील, मुहरबंद करने के लिए मोम, अमिट स्याही, काला लिफाफा आदि की जाँच कर लें।
- ➢ निर्वाचक नामावली की चिन्हित–प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देख लें कि समस्त प्रतियां समरूप है और निर्वाचक–नामावली की चिन्हित–प्रति में ''पी.बी.'' और ईडीसी से भिन्न कोई चिन्ह नहीं हो।
- ➢ यह देख लें कि
  - हटाये गये नाम और अनुपूरक के अनुसार संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिये गये है।
  - काम में ली जा रही नामावली की बर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ में क्रम से संख्यांकित है।
  - मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को स्याही से शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गयी है।
- ➢ यथा सम्भव, मॉडल ले–आउट के अनुसार ही मतदान केन्द्र स्थापित करें।
- ➢ मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के आने–जाने के लिए पृथक–पृथक प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लें।
- ➢ मतदान दिवस को मतदान–केन्द्र के बाहर प्रदर्शित करें :–
- ➢ मतदान क्षेत्र को निविर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित करें।
- ➢ यदि कोई मतदान–अधिकारी अनुपस्थित है तो रिटर्निंग–अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
- ➢ मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम दो घण्टे पूर्व मॉक पोल (Mock-Poll) करने के लिए EVM और VVPAT की तैयारी प्रारम्भ कर दें।
- ➢ दिखावटी (Mock) मतदान के पूर्व BU, VVPAT को मतदान कम्पार्टमेन्ट में रख दें। CU को यथा स्थिति अपनी मेज पर अथवा तीसरे मतदान अधिकारी के मेज पर (जिसे भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी नियुक्त किया गया हो) रखें।
- ➢ BU, VVPAT एवं CU को एक दूसरे से संबंद्ध (Interlock) कर दें।
- ➢ VVPAT के Paper Knob को Active Mode में कर दें।
- ➢ CU के पीछे के कम्पार्टमेन्ट में पॉवर–स्विच को On Position चालू स्थिति में रखें।
- ➢ मतदान केन्द्र पर उपस्थित सभी मतदान–अभिकर्त्तायों (Polling Agent) को यह दिखा दें कि EVM तथा VVPAT खाली है तथा इसमें मतपत्र/मतदान रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
- ➢ मतदान अधिकारियों/निर्वाचन लड़ने योग्य अभ्यर्थियो/मतदान अभिकर्त्ताओं के सहयोग से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए न्यूनतक 50 मत रिकार्ड करवाकर मॉक–पोल का संचालन

करायें। मॉक पोल के बाद CU का परिणाम प्रदर्शित करें एवं वीवीपैट की पर्चियों की गणना कर लें।

- मतदान अधिकर्त्ताओं के समक्ष CU के परिणाम प्रदर्शित करें एवं सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम का मिलान हो रहा है।
- क्लीयर का बटन दबाकर 'मॉक पोल' के डाटा को CU से हटायें और VVPAT पेपर स्लिपों को VVPAT से निकालकर मतदान अभिकर्त्ताओं को VAPAT का खाली ड्राप बॉक्स दिखायें। मॉक पोल की VVPAT की पेपर स्लिपों के पीछे मॉक पोल की मुहर लगाकर काले लिफाफे में रखकर सील करें और लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर करें व मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्तक्षर करायें। इस लिफाफे पर मतदान केन्द्र का नाम संख्या, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान की दिनांक तथा शब्द ''मॉक पोल VVPAT पेपर स्लिप'' अंकित करें। लिफाफे को प्लास्टिक बॉक्स में रखें और इस प्रकार पिंक पेपर सील से सील करें कि बॉक्स को खोलने के लिए सील को तोड़ना पड़े। प्लास्टिक बॉक्स पर भी मतदान केन्द्र की संख्या व नाम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम तथा मतदान दिनांक लिखें। प्लास्टिक बॉक्स की पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करें और मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर करवाये तथा इस बॉक्स को चुनाव से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ रखें।
- CU के पीछे के कम्पार्टमेंट का पॉवर–स्वीच ऑफ कर के सीलिंग की प्रक्रिया आरम्भ करे।
- CU के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे पर की चौखट में ग्रीन पेपर सील लगा दे। Distinguish sead का मोहर लगायें।
- रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कक्ष को इस प्रकार बंद करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर की तरफ रहें।
- मुद्रित क्रम संख्या के नीचे ग्रीन पेपर सील की सफेद सतह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें। Distinguish Seal का मुहर लगायें।
- उपस्थित मतदान अभिकर्त्ताओं में से जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हो पेपर सील पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।
- Close Button के भाग को Specid Tag से सील करें। इसपर भी हस्ताक्षर करे, Distingnish Mark लगायें।
- CU के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और सील कर दे। उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दे।
- रिजल्ट सेक्शन के उपर से स्ट्रेपसील लगाकर सील कर दे।
- मतदान अभिकर्त्ताओं को भी CU के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।
- परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से रखे कि मतदाता को मतदान कक्ष के जाते और आते समय उसे लांघना न पड़े, किन्तु केबल की पूरी लम्बाई दिखाई देनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में कपड़े या टेबल के नीचे नहीं छिपी होनी चाहिए।

- उपस्थित मतदान अभिकर्त्ताओं को यह दिखाये कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ''पी बी'' व ''ईडीसी'' से भिन्न कोई प्रविष्ट अन्तर्विष्ट नहीं हो।
- यह दिखाये कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17 क) में कोई प्रविष्ट नहीं है।
- मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा को पढ़े और हस्ताक्षर करें। पोलिंग एजेंट से भी हस्ताक्षर प्राप्त करें।
- नियत समय पर मतदान प्रारभ्भ करें।
- मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 को जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दे।
- दिए गये किसी भी समय में मतदान केन्द्र के भीतर किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्त्ता को ही अनुज्ञात कर लें।
- निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित कर लें।
- आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को सम्यक् शिष्टाचार दिखाये और सम्मान दें तथा उनके द्वारा अपेक्षित जानकारी उन्हे दें। मतदान केन्द्र पर उपस्थित माईक्रो प्रेक्षकों को भी सम्यक शिष्टाचार दिखायें।
- मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर चुनाव प्रचार करना एक अपराध है। मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। आप पीठासीन अधिकारी या प्रथम मतदान अधिकारी के तौर पर इसका प्रयोग एसएमएस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु कर सकते है।
- मतदान केन्द्र में धुम्रपान निषिद्ध है। यह ध्यान रखें कि आप या, आपके मतदान अधिकारी या कोई भी अन्य जिनमे मतदान अभिकर्त्ता सम्मिलित है, मतदान केन्द्र के अन्दर धुम्रपान न करें।
- किसी भी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतदान करने आए है, को विशेष व्यवहार या महत्व न दें।
- जहाँ एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी हो वहाँ मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य निम्नलिखित हैः–

  पहला मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रखेगा और निर्वाचक की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा। नामावली में मुद्रण संबंधी और लिपिकीय भूलों पर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा।

  दूसरा मतदान अधिकारी अमिट स्याही और मतदाओं का रजिस्टर रखेगा। वह निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा, रजिस्टर के स्तम्भ (2) में मतदाताओं के रजिस्टर पर निर्वाचक की भाग संख्या और क्रम संख्या को दर्ज करेगा व आईडेटिफिकेशन डाक्यूमेंट लिखेगा। उसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता पर्ची देने के पूर्व अभिप्राप्त करेगा।

  तीसरा मतदान अधिकारी, CU का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक से मतदाता स्लिप लेगा, उसकी बायी तर्जनी पर अमिट–स्याही की जाँच करेगा और नियंत्रण यूनिट के ''बैलैट'' बटन को दबाकर मत देने के लिए उसे अनुज्ञात करेगा तथा

मतदाता को निर्देशित करेगा कि वह मतदान कम्पार्टमेन्ट के अन्दर जाये तथा बैलेट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपने पसंद का मत डाले।

- निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने को कहं जिसमें मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्हें मत देने के लिए तब तक न कहें जब तक उन्होंने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।
- किसी निर्वाचक की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण न करें जब तक कि चुनौती देने वाला दो रूपये नकद चुनौती–फीस जमा न करा दें। प्रारूप 14 में ऐसे चुनौती दिये गये मतो का रिकार्ड रखें यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपेण करने वाले को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।
- अंधे या शिथिलांग के साथी से अपेक्षित घोषणा अभिप्राप्त करे। प्रारूप 14 क में ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड रखें।
- यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात 18 वर्ष से बहुत कम आंकते है किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है तो उसकी आयु के संबंध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें।
- किसी भी निर्वाचक पर दबाब न डालें या उसे बाध्य नहीं करें यदि मतदाताओं के रजिस्टर में उसकी विशिष्टयां नोट किये जाने के पश्चात वह मत नहीं देने का विनिश्चय करे। रजिस्टर में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि करें।
- किसी निर्वाचक के मत नहीं देने के विनिश्चय के कारण रजिस्टर के स्तम्भ 1 में किसी क्रम संख्या को परिवर्तित नहीं करे।
- किसी निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात करें यदि उसके नाम से किसी अन्य द्वारा पहले ही मत देने के पश्चात वह उस मतदान केन्द्र पर आता है उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है। उसे मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करे।
- ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किए गये है। ऐसा अभिलेख प्ररूप 17 ख में संधारित करे। निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में सूची पृथक लिफाफे में रखें।
- किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करे यदि आप द्धारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात भी वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करे।
- मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर के स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या परिवर्तित न करें।
- मतदान समाप्ति पूर्व नियत समय तक यदि मतदाता पंक्ति में है तो उनका मतदान सुनिश्चित करने हेतु मतदान समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व अपने हस्ताक्षरयुक्त पर्चियाँ सभी पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पंक्ति के पीछे से आगे तक आते हुए दें।

- ऐसे समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करे जिन्हें ऐसे स्लिपें जारी की गई है चाहे मतदान को नियम समय के पश्चात भी जारी क्यों न रखना पड़े।
- मिलान करने के लिए टोटल का बटन को दबाकर CU में रिकार्ड मतों की संख्या को नोट कर ले।
- ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान बन्द किये जाने की औपचारिक घोषणा करे।
- क्लोज बटन के उपर रबर की कैप को हटाकर मतदान मशीन बंद कर दे। इस प्रकार क्लोज बटन दबाकर रबर कैप को पुनः क्लोज बटन पर लगा दें।
- प्ररूप 17 ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करे।
- अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को तथा रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की अनुक्रमाणिक प्रतियां दें। विहित घोषणा प्रारूप में इस आशय की घोषणा करें।
- मतदान समाप्ति के पश्चात् नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में ''पावर स्विच'' को बन्द कर दें। बीयू और वीवीपैट एवं सीयू का संबंध बिच्छेद कर दें।
- कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट को उनके अपने–अपने वहन बक्सों मे रखें।
- वहन बक्सों को दोनों ओर से सील कर दें। प्रत्येक वहन बक्से पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दें।
- समस्त उपस्थित अभयर्थियों/मतदान अभिकर्त्ताओं को इन वहन बक्सों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें, जो ऐसा करना चाहे।
- समस्त निर्वाचन पत्रों और सामग्री को पृथक पैकेटों में सील करें।
- निम्नलिखित से युक्त लिफाफों पर आप अपना सील लगायें–1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, 2. मतदाताओं का रजिस्टर, 3. मतदाता पर्ची, 4. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में सूची और 5. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
- समस्त उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदाता अभिकर्त्ताओं को इन लिफाफों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें, यदि वे ऐसा चाहे।
- निर्वाचन पत्रों और सामग्री के समस्त पैकेटों को चार बड़े पैकेटों में रखें।

  सांविधिक लिफाफे (हरे लिफाफे) लिखे गये पहले मुहरबंद पैकेट में पाँच मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए।

  असांविधिक लिफाफे (पीले लिफाफे) लिखे गये दूसरे पैकेट में ग्यारह लिफाफे होने चाहिए।

  तीसरे पैकेट में (भूरे लिफाफे) में आम सामग्री होनी चाहिए।

  समस्त अन्य सामग्री चौथे पैकेट में बंद करनी चाहिए (नीला)।
- निम्नलिखित को पृथक खुला लिफाफा के साथ रखें, उनके ऊपर उल्लिखित द्वार बड़े पैकेट मे से किसी में भी नहीं रखना चाहिए। 1. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप 17 ग), 2. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व और मतदान समाप्त होने के पश्चात आपके द्वारा की गई घोषणायें और 3. पीठासीन अधिकारी की डायरी अलग से लिफाफो में रखी जाएगी और उपर बताए गए चारों बड़े लिफाफों में नहीं रखी जाएगी। 4. पर्यवेक्षक की 16 सूत्रीय रिपोर्ट, 5. विजिट शीट एवं अन्य जो निर्देशित हो। ध्यान रखें कि 16 सूत्रीय

पर्यवेक्षक रिपोर्ट कलेक्श्न सेंटर पर सौंपी जाय। यदि यह रिपोर्ट प्राप्ति स्थल पर जमा नहीं होगी, तो उस दिन आपको कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।

- मतदान केन्द्र पर की घटनाअें का पूर्ण और सही लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी हर तरह से पूर्ण रखें। जब भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियों पूर्ण कर लें न कि मतदान समाप्ति पर।
- यदि मतदान केन्द्र पर कोई हिंसा या बलवा होता है तो मतदान स्थगित कर दे। रिटर्निग ऑफिसर को पूरे तथ्यों की तथ्काल रिपोर्ट करें।
- यदि बूथ पर कब्जा किया गया है या मतदान मशीन या निर्वाचक सामग्री जैसे मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आदि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी गयी है या क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उनमें गड़बड़ की गई हो तो मतदान बन्द करे दें। रिटर्निग ऑफिसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर